Title: Request to give direction to the authorities to open rock mines at Mirzapur and start the excavation work through Labour Committees.

श्रीमती फूलन देवी (मिर्जापुर) : मैं अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर के कुछ मुद्दे उठाना चाहती हूं।

... (व्यवधान)
हम बहुत पिछड़े हुए जिले से चुन कर आए हैं, हमें वैसे भी बोलने का समय नहीं मिलता है इसलिए हमें बोलने दीजिए। ... (व्यवधान) एक विधानसभा क्षेत्र (९६), जहां पत्थर के सिवाए अन्य कुछ नहीं है, वहां के कुछ मुद्दे मैं उठाना चाहती हूं। एक मिनिस्टर थे, मैं उनका नाम सदन में नहीं लेना चाहती हूं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई, रिट दायर की कि वहां पत्थर माफिया अवैध खुदाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अवैध खुदाई को रोक दिया जाए, परन्तु वहां के जिला प्रशासन ने, उस समय के कलेक्टर डिम्पल वर्मा जी ने आनन-फानन में डर के मारे जल्दबाजी में जो लीगल पट्टे दिए हुए थे वे भी कैंसिल कर दिए, सब बंद कर दिए। अवैध माफिया तो थे नहीं, उनका कुछ आपस में लेनदेन था।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैडम, जब यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में है तो आप कैसे इसे इधर रेज़ करेंगी। आपने बोला है कि यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में है।

... (व्यवधान)

श्रीमती फूलन देवी : महोदय, आर्डर हो गया है कि सब चलने दिया जाए। हम सरकार से चाहते हैं कि वहां निर्देश दिया जाए कि वहां बाहर के ठेकेदार न आएं। वहां जो पत्थर खदान के मजदूर थे उनके जरिए कमेंटियां बना कर उन्हीं को दिए जाएं ताकि वे अपना भरण-पोषण कर सकें। वहां स्थिति बहुत खराब है। वहां आदिवासी महिलाओं के लिए न खेती है और न ही कोई अन्य धंधा है। वे आज भुखमरी के कगार पर खड़ी हुई हैं। हम जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वे कहती हैं बहन जी, हम लोग अपना शरीर बेच कर भरण-पोषण कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करती हूं कि जो पत्थर की खदान को बंद कर दिया गया है वहां तत्काल आदेश दिया जाए, मजदूरों को ठेका दिया जाए। वे अपनी कमेंटियां बना कर चलाएं ताकि वे अपना भरण-पोषण कर सकें। जयहिंद।